

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस तामीर में
3-1-18	पत्रावली पेन्स डुई कौल उणी / अपायी उपस्थित पत्रावली १० लाघत योचभासनी केल के वल्लत हे पत्रावली दिनांक 17-1-18 के पेन्स हे।	
17-1-18	पत्रावली पेन्स डुई कौल उणी उप कौल उरिदात्री उपस्थित पत्रावली हे अपि पत्रावली दिनांक 20-2-18 के पेन्स हे।	
	पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे / कानून व्यवस्था / अलोकोल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 22-1-18 के राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख पेशी दिनांक 3-3-18 नियत की जाती है।	
	पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे / कानून व्यवस्था / अलोकोल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 3-3-18 के राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख पेशी दिनांक 3-3-18 नियत की जाती है।	
21-3-18	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अपायी स २ लागायत 7 की लाफ से अपाय पेश किया जो लियापबर शामिल पत्रावली किया गया। अपायी स 1 द्वारा अपाय पेश किया कोई अपाय पेश नहीं किया नही के उपस्थित हुए अला उनके सिर्फ सब तारीखीय कार्यवाही अमलमें लायी जाती है। प्रकरण में कहस उभय पक्ष सुनी गयी पदवी प्रायी अनुसार ग्राम डीडामचु स्थित खस 72/1229 रकबा 0.06 हेक्टर उसकी जालेदारी कारत की सुमित प्रिसका अपायी सेख्या सात सहायत है। उसकी उभय जालेदारी सुमित पर अपायी सेख्या 2 लागायत 6 मिसी प्रकार का जखल व उपयोग उपभोग में कोई कथा उपन नही करे इस प्रकार का आवेश पारित किया आवे। अपायी स 2 लागायत सात की लफ	

हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
------------------------------------	--

मैं अभिभाषक ने यह कथन किया कि ग्राम  
 डीडायच स्थित खस 72/1229 से उनका  
 कोई संबंध नहीं है वे उनकी खातदारी  
 भूमि 66/1283 खस 0.12 हेक्टर पर  
 काबिज हो काइला कर रहे हैं इसलिये  
 प्राप्ति पर खारिज फरमाया जावे।  
 पत्रावली में संलग्न दस्तावेजाल व  
 वहस उभयपक्ष पर मनन करने पर यह  
 पाया गया कि ग्राम डीडायच स्थित खस  
 72/1229 प्राप्ति हनुमानपुर्गाविन्दा व अप्राप्ति  
 स० 7 धन्ना लाल पु. गाधिन्दा की सहकारी  
 भूमि है उक्त संदर्भित भूमि के विक्रय में  
 कोई/बिसी की उदार के अधिकार अप्राप्ति  
 स० 2 लगायत 6 को प्राप्त है और यदि  
 अप्राप्ति प्राप्ति को उनकी खातदारी  
 भूमि के उपयोग व उपयोग में बाधा उत्पन्न  
 करते हैं तो प्राप्ति को अपूर्णता मिले  
 हो सकती है अतः अप्राप्ति स० 1 लगायत  
 6 को ता फेसला वाद अस्पष्ट  
 मिषदाइला से पाबन्द किया जाता है  
 कि वे ग्राम डीडायच स्थित खस 72/1229  
 खस 0.06 हेक्टर के उपयोग, उपयोग  
 में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करे  
 ना बिसी अन्य/दिगर व्यक्ति से करावे।  
 पत्रावली फेसला शुमार है। मूल 4/5  
 पत्रावली के साम हस्तलि। हो दज 70  
 से बम हो।

उप जिला कलेक्टर  
 चौथ का बरवाड़ा

T  
IT